BIHAR SHODH SAMAAGAM, VOL. 2, ISSUE 2, p.p 9-14
(2024)

भारत में बाल श्रम, कारण, प्रभाव और उन्मूलन के प्रयास

मानसी व्यास

सारांश :–

भारत में बाल श्रम एक महत्वपूर्ण सामाजिक समस्या है, जो न केवल बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास को प्रभावित करती है, बल्कि समाज के समग्र विकास को भी बाधित करती है। यह समस्या देश के विभिन्न हिस्सों में अलग–अलग रूपों में विद्यमान है, और इसके पीछे कई कारण और कारक होते हैं। भारत में बाल श्रम की समस्या का मुख्य कारण गरीबी और अशिक्षा है। गरीब परिवार अक्सर अपने बच्चों को काम पर भेजने के लिए मजबूर होते हैं ताकि परिवार की आय में योगदान कर सकें। इसके अलावा, कई बार बच्चों को अपने माता–पिता के व्यवसाय में हाथ बंटाने के लिए मजबूर किया जाता है, खासकर ग्रामीण और कृषि प्रधान क्षेत्रों में। शिक्षा की कमी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की अनुपलब्धता भी बाल श्रम के मुख्य कारणों में से एक है। कई परिवारों के पास अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं होते हैं, और कुछ मामलों में, परिवारों को बच्चों की शिक्षा की आवश्यकता का एहसास नहीं होता है। सामाजिक और सांस्कृतिक कारक भी बाल श्रम की समस्या को बढ़ावा देते हैं। कुछ समुदायों में, बच्चों से काम करवाना पारंपरिक और सामाजिक रूप से स्वीकृत होता है। इसके अलावा, कुछ उद्योगों में सस्ते श्रम की मांग के कारण भी बाल श्रम प्रचलित है। बाल श्रम न केवल बच्चों के वर्तमान जीवन को प्रभावित करता है, बल्कि उनके भविष्य की संभावनाओं को भी कम करता है। शिक्षा से वंचित बच्चे भविष्य में अच्छी नौकरियों के लिए योग्य नहीं हो पाते और गरीबी के दुष्चक्र में फंस जाते हैं।

इस शोध पत्र का उद्देश्य भारत में बाल श्रम के विभिन्न पहलुओं, जैसे इसके कारण, प्रभाव और इसके उन्मूलन के प्रयासों का गहन अध्ययन करना है। बाल श्रम की समस्या के समाधान के लिए सरकारी और गैर–सरकारी संगठनों द्वारा किए जा रहे प्रयासों का विश्लेषण भी इस अध्ययन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होगा।

बाल श्रम की परिभाषा और इतिहास

बाल श्रम की परिभाषा : बाल श्रम का तात्पर्य उन कार्यों से है जिन्हें बच्चों द्वारा किया जाता है और जो उनके शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और नैतिक विकास को बाधित करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) और यूनिसेफ जैसे संगठनों के अनुसार, बाल श्रम में उन कार्यों को शामिल किया जाता है जो बच्चों की शिक्षा में हस्तक्षेप करते हैं, या जिन्हें करने से बच्चों का स्वास्थ्य और सुरक्षा खतरे में पड़ती है। भारतीय संदर्भ में, बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 के तहत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी प्रकार के खतरनाक कार्य में नियोजित करना प्रतिबंधित है।

भारत में बाल श्रम का इतिहास

भारत में बाल श्रम का इतिहास काफी पुराना और जटिल है। औपनिवेशिक काल में, बच्चों का उपयोग कृषि, घरेलू उद्योगों, खदानों और फैक्ट्रियों में सस्ते श्रम के रूप में किया जाता था। उस समय बाल श्रम को न केवल सामाजिक रूप से स्वीकृत किया जाता था, बल्कि आर्थिक आवश्यकता के रूप में भी देखा जाता था। औपनिवेशिक शासकों द्वारा किए गए आर्थिक और सामाजिक परिवर्तनों ने भी बाल श्रम को बढ़ावा दिया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, भारत सरकार ने बाल श्रम को समाप्त करने के लिए कई कानून और नीतियाँ बनाई हैं। 1950 के दशक में, संविधान में अनुच्छेद 24 के तहत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक कार्यों में नियोजित करने पर प्रतिबंध लगाया गया। इसके बावजूद, बाल श्रम की समस्या लगातार बनी रही, विशेष रूप से ग्रामीण और अनौपचारिक क्षेत्रों में। 1979 में, भारत सरकार ने बाल श्रम की समस्या का अध्ययन करने और इसके समाधान के लिए सुझाव देने के लिए गुरुपादस्वामी समिति का गठन किया। इस समिति की सिफारिशों के आधार पर, 1986 में बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम पारित किया गया, जिसने खतरनाक उद्योगों में बाल श्रम पर रोक लगाई और अन्य उद्योगों में बाल श्रमिकों के काम की परिस्थितियों को विनियमित किया। 2006 में, भारत ने खतरनाक उद्योगों की सूची का विस्तार किया और बच्चों को घरेलू काम और आतिथ्य उद्योगों में काम करने से रोकने के लिए कानून में संशोधन किया। 2016 में, बाल और किशोर श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) संशोधन अधिनियम पारित किया गया, जिसमें

मानसी व्यास
शोधार्थी, सामाजिक संकाय
जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी, जयपुर

14 से 18 वर्ष की आयु के किशोरों को खतरनाक कार्यों में नियोजित करने पर प्रतिबंध लगाया गया। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी, भारत ने 1992 में बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (न्छब्ब्) की पुष्टि की, जिसमें बच्चों के अधिकारों की रक्षा और उन्हें शोषण से बचाने का संकल्प लिया गया। इसके बावजूद, बाल श्रम की समस्या आज भी व्यापक रूप से विद्यमान है और इसे समाप्त करने के लिए सतत प्रयासों की आवश्यकता है।

कारण

आर्थिक स्थितियाँ गरीबी और अशिक्षा का बाल श्रम में योगदान

भारत में बाल श्रम के प्रमुख कारणों में से एक है आर्थिक स्थितियाँ। गरीबी और अशिक्षा इस समस्या को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

गरीबी

गरीबी भारत में बाल श्रम का सबसे बड़ा कारण है। गरीब परिवार अपने जीवन–यापन के लिए संघर्ष करते हैं और उनके पास पर्याप्त संसाधन नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में, बच्चों को काम पर भेजना एक आर्थिक आवश्यकता बन जाती है ताकि वे परिवार की आय में योगदान कर सकें। भारत के ग्रामीण और शहरी गरीब क्षेत्रों में यह समस्या अधिक गंभीर है, जहाँ परिवारों को दो वक्त की रोटी जुटाने के लिए अपने बच्चों को भी काम पर लगाना पड़ता है। गरीब परिवार अक्सर सोचते हैं कि बच्चों का काम करना उनकी आर्थिक स्थिति को थोड़ा बेहतर बना सकता है, भले ही इसका बच्चों के भविष्य पर कितना भी नकारात्मक प्रभाव पड़े।

अशिक्षा : अशिक्षा भी बाल श्रम का एक बड़ा कारण है। शिक्षा की कमी के कारण परिवारों को यह समझ नहीं आता कि बच्चों की शिक्षा और समग्र विकास कितना महत्वपूर्ण है। कई परिवारों के पास बच्चों को स्कूल भेजने के लिए पर्याप्त साधन नहीं होते हैं। शिक्षा का खर्च उठाने में असमर्थता और गुणवत्ता शिक्षा तक पहुंच की कमी के कारण, बच्चे काम करने को मजबूर हो जाते हैं। कई बार, स्कूलों की कमी, खराब गुणवत्ता वाली शिक्षा, और स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं की कमी भी बच्चों को शिक्षा से वंचित करती है और वे काम करने लगते हैं।

सामाजिक और सांस्कृतिक कारक पारिवारिक दबाव और पारंपरिक मान्यताएँ : भारत में बाल श्रम के अन्य महत्वपूर्ण कारणों में से एक हैं सामाजिक और सांस्कृतिक कारक पारिवारिक दबाव और पारंपरिक मान्यताएँ बाल श्रम की समस्या को जटिल बनाते हैं।

पारिवारिक दबाव

कई परिवार अपने बच्चों पर काम करने का दबाव डालते हैं ताकि वे पारिवारिक व्यवसाय में योगदान कर सकें या घरेलू कामों में मदद कर सकें। यह खासकर उन परिवारों में आम है जो कृषि, हस्तशिल्प, या छोटे उद्योगों में लगे होते हैं। बच्चों को पारिवारिक व्यवसाय में शामिल करना न केवल एक आर्थिक रणनीति होती है बल्कि इसे पारिवारिक जिम्मेदारी के रूप में भी देखा जाता है। इसके परिणामस्वरूप, बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं और उनकी बचपन की खुशियाँ छिन जाती हैं।

पारंपरिक मान्यताएँ

कई सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराएँ भी बाल श्रम को बढ़ावा देती हैं। कुछ समुदायों में, बच्चों से काम करवाना एक पारंपरिक और सामाजिक रूप से स्वीकृत प्रथा है। यह मान्यता होती है कि बच्चे काम करके कौशल सीखेंगे और भविष्य में परिवार का बेहतर सहयोग करेंगे। इसके अलावा, कुछ पारंपरिक व्यवसायों में बच्चों का शामिल होना एक सामान्य बात मानी जाती है, जैसे बुनाई, कढ़ाई, और कुम्हार का काम। भारत के कुछ हिस्सों में, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, यह भी देखा गया है कि बालिकाओं को घर के कामों में मदद के लिए स्कूल से निकाल लिया जाता है। इस प्रकार की सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराएँ बाल श्रम की समस्या को और अधिक जटिल बना देती हैं। इस प्रकार, भारत में बाल श्रम का इतिहास और इसकी परिभाषा समझना इस समस्या के समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके लिए कानून, शिक्षा, जागरूकता और आर्थिक सुधारों के समन्वित प्रयासों की आवश्यकता है।

प्रभाव

शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव

बाल श्रम का बच्चों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। इन प्रभावों को समझना और उनके समाधान के लिए उचित कदम उठाना आवश्यक है।

शारीरिक स्वास्थ्य

बाल श्रम में लगे बच्चे अक्सर खतरनाक और कठिन कार्यों में शामिल होते हैं जो उनके शारीरिक स्वास्थ्य को गंभीर रूप से प्रभावित करते हैं। उन्हें लंबे समय तक काम करना पड़ता है, जिससे वे थकान, कमजोरी और कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। बाल श्रमिक अक्सर ऐसे काम करते हैं जिनमें भारी सामान उठाना, खतरनाक मशीनों का संचालन करना, या रसायनों के संपर्क में आना शामिल होता है। इन कार्यों से वे विभिन्न प्रकार

की शारीरिक बीमारियों जैसे मांसपेशियों और हड्डियों की समस्याएँ, त्वचा संबंधी रोग और सांस संबंधी समस्याएँ का शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा, बाल श्रमिकों के कार्यस्थल पर सुरक्षा के उपायों का अभाव होने के कारण, उन्हें चोट लगने और दुर्घटनाओं का अधिक खतरा रहता है। इस प्रकार, बाल श्रम बच्चों के शारीरिक स्वास्थ्य पर दीर्घकालिक नकारात्मक प्रभाव डालता है।

मानसिक स्वास्थ्य

बाल श्रम का बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी गंभीर प्रभाव पड़ता है। काम के लंबे घंटे, कठिन परिस्थितियाँ और उम्र के अनुपात में अत्यधिक जिम्मेदारियाँ बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। वे अक्सर चिंता, तनाव और अवसाद जैसी मानसिक समस्याओं का सामना करते हैं। काम करने के कारण, बच्चों को खेलने, सीखने और सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने का मौका नहीं मिलता, जो उनके मानसिक और भावनात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं। इस कारण वे समाज से कटे–कटे महसूस करते हैं और उनके आत्मसम्मान में कमी आ सकती है। बाल श्रमिकों को अक्सर शोषण और दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता है, जो उनके मानसिक स्वास्थ्य को और अधिक प्रभावित करता है।

शिक्षा और भविष्य की संभावनाओं पर असर

बाल श्रम बच्चों की शिक्षा और उनके भविष्य की संभावनाओं को भी गंभीर रूप से प्रभावित करता है।

शिक्षा पर असर

बाल श्रम के कारण बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। काम करने के कारण उनके पास स्कूल जाने का समय नहीं होता, और अगर वे स्कूल जाते भी हैं तो काम की थकान के कारण वे ठीक से ध्यान नहीं दे पाते। इससे उनकी शैक्षणिक प्रगति बाधित होती है और वे शिक्षा में पीछे रह जाते हैं। अशिक्षा के कारण बच्चे अपने अधिकारों और अवसरों के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं कर पाते। इसके परिणामस्वरूप, वे जीवन में आगे बढ़ने और बेहतर अवसर प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो पाते।

भविष्य की संभावनाओं पर असर

बाल श्रम के कारण शिक्षा से वंचित रहने वाले बच्चे भविष्य में बेहतर रोजगार के अवसर प्राप्त नहीं कर पाते। बिना शिक्षा और कौशल के वे अनौपचारिक क्षेत्रों में कम वेतन वाले और असुरक्षित कार्यों में फंसे रहते हैं। इससे उनका आर्थिक और सामाजिक विकास बाधित होता है और वे गरीबी के दुष्चक्र में फंसे रहते हैं। शिक्षा की कमी के कारण बच्चे आत्मनिर्भर नहीं बन पाते और जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हैं। उनके पास समाज में अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने की क्षमता नहीं होती और वे शोषण का शिकार होते रहते हैं।

इस प्रकार, बाल श्रम का बच्चों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, शिक्षा और भविष्य की संभावनाओं पर गंभीर और दीर्घकालिक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इस समस्या के समाधान के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है ताकि बच्चों को उनके अधिकार और भविष्य सुरक्षित किया जा सके।

विधिक परिप्रेक्ष्य

बाल श्रम के खिलाफ भारत में लागू कानून और उनकी प्रभावशीलता

भारत ने बाल श्रम को समाप्त करने के उद्देश्य से कई कानून और नीतियाँ बनाई हैं। प्रमुख कानूनों में बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 और बाल और किशोर श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2016 शामिल हैं।

बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986

इस अधिनियम के तहत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक उद्योगों में काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसमें बाल श्रमिकों के काम की शर्तों का विनियमन भी शामिल है, जैसे कि काम के घंटे और विश्राम की अवधि। यह अधिनियम बच्चों की शिक्षा के अधिकार की रक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है।

बाल और किशोर श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2016

2016 के इस संशोधन ने कानून को और कड़ा किया। इसमें 14 से 18 वर्ष की आयु के किशोरों को खतरनाक कार्यों में नियोजित करने पर प्रतिबंध लगाया गया। इसके अलावा, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी प्रकार के कार्य में नियोजित करने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया, सिवाय परिवारिक व्यवसाय और मनोरंजन उद्योग के।

प्रभावशीलता

हालांकि ये कानून बाल श्रम के उन्मूलन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं, लेकिन उनकी प्रभावशीलता पर सवाल उठते रहे हैं। कानूनों का प्रभावी कार्यान्वयन और निगरानी एक बड़ी चुनौती है। ग्रामीण और अनौपचारिक क्षेत्रों में बाल श्रम अभी भी व्यापक रूप से प्रचलित है। कानूनों के बावजूद, कई बच्चे आज भी खतरनाक उद्योगों और घरेलू कामों में लगे हुए हैं। जागरूकता की कमी, प्रवर्तन की कमजोरियों, और सामाजिक–सांस्कृतिक

कारकों के कारण इन कानूनों का पूर्ण पालन सुनिश्चित करना कठिन हो जाता है।

अंतर्राष्ट्रीय कानून और भारत में उनका पालन

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बाल श्रम के खिलाफ कई कानून और संधियाँ हैं जिनका पालन भारत में किया जाता है।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) कन्वेंशन्स

भारत ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के कई कन्वेंशन्स की पुष्टि की है, जो बाल श्रम के उन्मूलन से संबंधित हैं। इनमें प्रमुख हैं :–

- कन्वेंशन नंबर 138 (न्यूनतम आयु अधिनियम) इसके तहत काम करने के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है।
- कन्वेंशन नंबर 182 (खतरनाक श्रम का उन्मूलन) इसमें सबसे खराब रूपों के बाल श्रम को समाप्त करने के उपाय शामिल हैं।

संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार संधि (UNCRC)

भारत ने 1992 में संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार संधि (UNCRC) की पुष्टि की, जिसमें बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा और शोषण से बचाने का संकल्प लिया गया। इस संधि के तहत, बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य, और सुरक्षा के अधिकार प्राप्त हैं।

प्रभावशीलता

अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और संधियों की पुष्टि के बावजूद, भारत में इनका प्रभावी कार्यान्वयन एक चुनौती बना हुआ है। कानूनी प्रावधानों को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए सशक्त प्रवर्तन तंत्र और जागरूकता कार्यक्रमों की आवश्यकता है। सरकार और गैर–सरकारी संगठनों को मिलकर काम करना होगा ताकि अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार बाल श्रम को समाप्त किया जा सके।

समापन

भारत में बाल श्रम के खिलाफ कानूनी ढांचा मजबूत है, लेकिन इसके प्रभावी कार्यान्वयन में चुनौतियाँ हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और संधियों का पालन करने के बावजूद, जमीनी स्तर पर इनके प्रभाव को सुनिश्चित करने के लिए अधिक प्रयासों की आवश्यकता है। इसके लिए सरकारी नीतियों, प्रवर्तन तंत्र, और सामुदायिक जागरूकता में सुधार की आवश्यकता है ताकि बाल श्रम को पूरी तरह से समाप्त किया जा सके और बच्चों के अधिकारों की रक्षा की जा सके।

उन्मूलन के प्रयास

सरकारी नीतियाँ और कार्यक्रम

भारत सरकार ने बाल श्रम को समाप्त करने के लिए कई नीतियाँ और कार्यक्रम शुरू किए हैं। इन प्रयासों का उद्देश्य न केवल बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाना है, बल्कि बच्चों को शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच प्रदान करना भी है।

राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (छब्स्च्)

1988 में शुरू की गई राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (छब्स्च्) का उद्देश्य बाल श्रम को समाप्त करना है। इस परियोजना के तहत, खतरनाक उद्योगों और प्रक्रियाओं में काम करने वाले बच्चों को विशेष स्कूलों में पुनर्वासित किया जाता है। इन स्कूलों में बच्चों को औपचारिक शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, और मिड–डे मील जैसी सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE), 2009

शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) 2009 के तहत, 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। यह अधिनियम सुनिश्चित करता है कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे और इसके माध्यम से बाल श्रम की समस्या को भी संबोधित किया जाता है।

विभिन्न विकासात्मक योजनाएँ

सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (डळछत्म्ळ।) और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (छत्स्ड) जैसी योजनाएँ भी शुरू की हैं, जिनका उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन है। इन योजनाओं के माध्यम से परिवारों की आर्थिक स्थिति सुधारने का प्रयास किया जाता है ताकि बच्चों को काम पर भेजने की आवश्यकता न हो।

गैर–सरकारी संगठनों की भूमिका

गैर–सरकारी संगठन (NGOs) भी बाल श्रम के उन्मूलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये संगठन न केवल बच्चों को बचाने और पुनर्वासित करने का कार्य करते हैं, बल्कि वे सरकार और समुदाय के बीच एक सेतु का काम भी करते हैं।

बचपन बचाओ आंदोलन (BBA)

बचपन बचाओ आंदोलन (BBA) एक प्रमुख NGO है जो बाल श्रम के खिलाफ सक्रिय है। इस संगठन ने हजारों बच्चों को बाल श्रम से मुक्त कराया है और उन्हें शिक्षा और पुनर्वास की सुविधाएँ प्रदान की हैं। BBA ने बाल श्रम के खिलाफ कानूनों के प्रवर्तन में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

कक्षा

चाइल्ड राइट्स एंड यू भी एक प्रमुख NGO है जो बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए काम करता है। ब्ल शिक्षा, स्वास्थ्य,

और बाल संरक्षण के क्षेत्रों में काम करता है और समुदायों के साथ मिलकर बच्चों के अधिकारों की वकालत करता है।

जागरूकता और समुदाय की भागीदारी

बाल श्रम के उन्मूलन में जागरूकता और समुदाय की भागीदारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब तक समुदाय इस समस्या के बारे में जागरूक नहीं होगा और इसके खिलाफ कदम नहीं उठाएगा, तब तक इसे समाप्त करना कठिन होगा।

जागरूकता अभियान

सरकार और छळे द्वारा बाल श्रम के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। इन अभियानों के माध्यम से समुदायों को बाल श्रम के नकारात्मक प्रभावों और बच्चों की शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूक किया जाता है। विभिन्न मीडिया माध्यमों जैसे रेडियो, टीवी, सोशल मीडिया, और ग्रामीण क्षेत्रों में नुक्कड़ नाटकों का उपयोग करके संदेश फैलाया जाता है।

समुदाय की भागीदारी

समुदाय की भागीदारी बाल श्रम के उन्मूलन में एक महत्वपूर्ण कारक है। समुदाय के सदस्य, स्थानीय नेता, और पंचायतें मिलकर इस समस्या का समाधान कर सकती हैं। स्थानीय स्तर पर बाल श्रम निगरानी समितियों का गठन किया जा सकता है जो बाल श्रम की घटनाओं की रिपोर्ट करें और आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें।

शिक्षा और सामुदायिक कार्यक्रम

शिक्षा के माध्यम से बच्चों और उनके माता–पिता को बाल श्रम के खतरों और शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूक किया जा सकता है। सामुदायिक केंद्रों और स्कूलों में नियमित कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं जहां बच्चों को कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाए।

पंचायत और ग्राम सभाएँ

पंचायत और ग्राम सभाओं के माध्यम से बाल श्रम के मुद्दे पर चर्चा की जा सकती है और स्थानीय स्तर पर समाधान निकाले जा सकते हैं। पंचायतें बाल श्रम के खिलाफ नीतियाँ बना सकती हैं और उनके प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित कर सकती हैं।

निष्कर्ष

बाल श्रम का उन्मूलन एक महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक चुनौती है, जिसके लिए व्यापक और समन्वित प्रयासों की आवश्यकता है। इसे समाप्त करने के लिए शिक्षा की पहुँच और गुणवत्ता में सुधार, गरीबी उन्मूलन, कानूनी प्रवर्तन और निगरानी को मजबूत करना, जागरूकता और सामुदायिक भागीदारी, सार्वजनिक–निजी सहयोग, और बाल श्रमिकों का पुनर्वास आवश्यक हैं। शिक्षा बाल श्रम के उन्मूलन की कुंजी है, और हर बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करना प्राथमिकता होनी चाहिए। गरीबी उन्मूलन के लिए रोजगार सृजन और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का विस्तार आवश्यक है। इसके साथ ही, बाल श्रम के खिलाफ कानूनों का सख्त अनुपालन और प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करनी होगी। जागरूकता अभियान और सामुदायिक भागीदारी से लोगों को बाल श्रम के नकारात्मक प्रभावों और बच्चों की शिक्षा के महत्व के बारे में संवेदनशील बनाया जा सकता है। उद्योगों और निजी क्षेत्रों को भी नैतिक व्यापार प्रथाओं को अपनाकर इस समस्या के समाधान में योगदान देना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और बाल श्रमिकों के पुनर्वास के प्रयासों को मजबूत करके, हम एक ऐसा समाज बना सकते हैं जहाँ हर बच्चे को सुरक्षित, स्वस्थ और शिक्षित जीवन जीने का अधिकार मिल सके। बाल श्रम उन्मूलन के लिए यह सामूहिक और सतत प्रयास ही भविष्य की दिशा हो सकती है।

संदर्भ सूची :–

UNICEF. (2020). *Child Labour in India: Causes and Solutions*. Retrieved from https://www.unicef.org/india/child-labour

International Labour Organization. (2017). *Global Estimates of Child Labour: Results and Trends, 2012-2016*. Retrieved from https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_575499/lang--en/index.htm

Government of India. (2020). *National Child Labour Project (NCLP) Scheme*. Ministry of Labour and Employment. Retrieved from https://labour.gov.in/childlabour/national-child-labour-project-nclp

Save the Children India. (2018). *The Hidden Workforce: A Study on Child Labour in India*. Retrieved from https://www.savethechildren.in/resource-centre/articles/the-hidden-workforce-a-study-on-child-labour-in-india/

Child Rights and You (CRY). (2019). *Child Labour in India: Issues and Challenges*. Retrieved from https://www.cry.org/issues-views/child-labour/

मानसी व्यास
शोधार्थी, सामाजिक संकाय
जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी, जयपुर

Bachpan Bachao Andolan. (2020). *Annual Report 2020*. Retrieved from https://bba.org.in/resources/annual-reports/

Ministry of Labour and Employment, Government of India. (2016). *The Child Labour (Prohibition and Regulation) Amendment Act, 2016*. Retrieved from https://labour.gov.in/sites/default/files/childlabour2016.pdf

Human Rights Watch. (2016). *They're Poisoning Us: The Health Impacts of Pesticides on Children in India*. Retrieved from https://www.hrw.org/report/2016/06/29/theyre-poisoning-us/health-impacts-pesticides-children-india

United Nations. (2020). *Sustainable Development Goals Report 2020*. Retrieved from https://unstats.un.org/sdgs/report/2020/

National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR). (2019). *A Study on the Extent and Nature of Child Labour in India*. Retrieved from http://ncpcr.gov.in/showfile.php?lang=1&level=1&sublinkid=1530&lid=1701